भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 782

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में भारतीय नागरिकों के लिए चिकित्सीय आपात स्थिति के दौरान सहायता

782. **श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसे भारतीयों, जिन्हें अभी तक अपने मेजबान देशों की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, को चिकित्सीय आपात स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करने और ऐसे मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने में सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए स्थापित तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे मानवीय मुद्दों से किस प्रकार निपटती है;

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में बजटीय आवंटनों के साथ ऐसी कोई नीति तैयार करने की योजना बना रही है और ;

(ड.) यदि हां, तो मसौदा नीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ङ) मेजबान देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों या किसी अन्य देश की यात्रा के दौरान संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) के तहत सहायता प्रदान की जाती है। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और केन्द्रों में आईसीडब्ल्यूएफ की स्थापना पहले ही की जा चुकी है, ताकि उनके द्वारा प्रवासी भारतीय

नागरिकों के लिए साधन-परीक्षित आधार पर किए गए विभिन्न ऑन-साइट कल्याण कार्यों हेतु आकस्मिक व्यय को पूरा किया जा सके। आईसीडब्ल्यूएफ संबंधी दिशानिर्देशों को 1 सितंबर, 2017 से व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों से संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लाभ के लिए ऑन-साइट कल्याण कार्य के दायरे का पर्याप्त रूप से विस्तार हुआ है, जिसे कोष के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इन दिशानिर्देशों में तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं नामतः संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना (बोर्डिंग और लॉजिंग, हवाई यात्रा, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, पार्थिव शरीर का पारवहन), सामुदायिक कल्याण कार्य और कोंसली सेवाओं में सुधार। इनमें अब बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों वाले देशों में कानूनी पैनल स्थापित करने, कैदियों की रिहाई हेतु छोटे-मोटे अपराधों के लिए जुर्माना/दंड का भुगतान करने तथा विदेश में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं को सहायता देने का प्रावधान भी शामिल हैं। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को जानकारी प्राप्त होने पर वह आईसीडब्ल्यूएफ के तहत सहायता की पहल, निगरानी तथा व्यवस्था करते हैं।

*****